B.A. III, Paper III
M.A. JOHN

TRIBAL MARRIAGE

आदिवासियों में जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके

आदिवासियों में विवाह एक धार्मिक विधान नहीं बल्कि एक प्रकार का ठेका (contract) है। आदिवासियों में आठ प्रकार की विवाह की पद्धतियाँ पायी जाती हैं।

1. परीक्ष्य विवाह (Probationary Marriage) इसमें लड़का कुछ दिन लड़की के घर आ कर रहता है। और दोनों को आपस में मिलने की छूट रहती। कुछ दिनों रहने के बाद लड़का अनुभव करे कि दोनों की प्रकृति मिलती जुलती है, तब उनकी शादी कर दी जाती है। नहीं तो लड़का लड़की के पिता को कुछ हरजाना देकर जा सकता है। Kooki जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है।

2. परीक्षा विवाह (Marriage by trial) कुछ जनजातियों में लड़के के बल, तथा चतुराई की परीक्षा के आधार पर लड़की से विवाह कर दिया जाता है। भील जनजातियों में होली के दिन एक वृक्ष पर नारियल तथा गुड़ टाँगा दिया जाता है और वृक्ष के चारों ओर गाँव की लड़कियाँ घेरा बनाकर नाचने लगती हैं। इनके बीच पुरुषों का एक दूसरा घेरा ...

जाता है। जो लड़का चाहे लड़कियों के घेरे को चीर कर वृक्ष पर चढ़ सकता है। लड़कियों को घेरे को जो कोई भी चीरने का साहस करता है उसे लड़कियाँ मारती हैं। मारती हैं, लेकिन जो इन सबको पारकर ऊपर चढ़ जाता है उसे इन लड़कियों में से किसी को भी चुनने का अधिकार होता है।

3- अपहरण विवाह (Marriage by capture)

इस प्रकार के विवाह में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। यह विवाह के क्षेत्र में मनुष्य की सबसे पहली इजाद है। समाज के विकास एवं नवीन नियमों के प्रभावों से इस प्रकार के विवाह समाप्त होते जा रहे हैं। भील, गोंड तथा हो जनजातियों में अब भी स्त्रियों का अपहरण किया जाता है। गोंड जातियों में तो माता पिता की अनुमति से कन्या का अपहरण होता है। हो जन जाति में लड़की के लिये पत्नी मूल्य देना पड़ता है इसलिये इसलिये इन में भी पहले से सांठ गांठ कर के कन्या का अपहरण कर लिया जाता है। Kharia और Burhor जनजाति में भी य व्यवस्था पायी जाती है।

4- क्रय विवाह (Marriage by purchase)

इस प्रकार के विवाह में वधू के माता पिता या उसके रिश्तेदारों को कुछ धन राशि वधू मूल्य के रूप में देनी होती है। बहुत सारी जनजातियों में यह प्राय सिर्फ दिखावे के लिये होता है। किरगीज जनजाति में वधूमूल्य बहुत अधिक देना पड़ता है जिसके कारण एक से अधिक पत्नी रखना कठिन कार्य है। न्यूगिनि की कुकाई जनजाति में वधू मूल्य चुकाने के बाद ही यौन सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते हैं। हो जनजाति में कन्या का मूल्य इतना अधिक देना पड़ता है कि बहुत सारे युवक अजन्म कुँआरे रह जाते हैं। या कन्या का अपहरण कर लाते हैं। नागा जनजातियों में पत्नी मूल्य की प्रथा नहीं है इसलिये वहाँ स्त्री की स्थिति दयनीय है। इस प्रचलन के अनेक कारण भी बताये गये हैं।

माता पिता को कन्या के पालण पोषण में जो परिश्रम करना पड़ता है उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में इसका प्रचलण हुआ। दूसरा कारण लड़कियों की संख्या कम होना हो सकता है। एक कारण यह भी समझा जाता है कि वधू-मूल्य दे देने पर वधू के पितृपक्षीय देवताओं का संरक्षण मिल जाता है और प्रजनन भी एक कारण हो सकता है।

5- सेवा विवाह (Marriage by service)

युवावस्था में विवाह माता पिता की सहमति से होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है जब माता पिता की सहमति के बिना भी प्रेम-वश युवा युवति विवाह करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर एक दूसरे की साथ घर से भाग जाते हैं। और कुछ समय बाद उनका समाज भी उन्हें पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। अपहरण और पलायन में अन्तर यह है कि अपहरण में लड़का कन्या की मर्जी के बगैर उसे उठा ले जाता है और पलायन में दोनों की सहमति होती है।

8. प्रविष्ट विवाह (Marriage by intrusion):- जबरदस्ती के विवाह में एक ओर लड़का छुप कर लड़की के माथे पर टीका लगा देता है। टीका लग जाने पर लड़की के माता पिता को इस विवाह को मान लेना पड़ता है। दूसरे प्रकार में लड़की पसन्द करती है लड़का नहीं चाहता परन्तु लड़की लड़के वालों के घर रहती है, उसे दुत्कारा जाता तब भी वह नहीं मानती और हार कर लड़के को लड़की से विवाह करना पड़ता है।

—x—

जो लोग पत्नी धन नहीं दे सकते उन्होंने विवाह की एक और पद्धति निकाली है। वह यह है कि लड़के वाले के यहाँ नौकरी कर के एक नहर से पत्नी धन चुका देना। गोंड तथा बैगा जनजातियों में लड़का, लड़की वालों के घर नौकर बन कर रहने लगता है और कुछ वर्ष नौकरी करने के बाद लड़की से शादी कर अपना स्वयं घर बना लेता है। बिरहोर जनजाति, नेपाल के गोरखा तथा अन्य जनजातियों में भी इस प्रकार की प्रथा पाई जाती है।

6- विनिमय विवाह (Marriage by exchange)
पत्नी धन देने से बचने के लिये जनजातियों में विवाह के और दूसरी विधियों का विकास हुआ उनमें से एक विनिमय विवाह भी है। इसमें पत्नी धन देने के स्थान पर अपनी लड़की देना और उसी परिवार की लड़की को विवाह में लेने को विनिमय विवाह कहा जाता है। वास्तव में सेवा विवाह और विनिमय विवाह ये दोनों क्रय विवाह के ही अलग अलग रूप हैं। Australia की जनजातियों में यह प्रथा पायी जाती है।

7. पलायन विवाह (Marriage by elopement)
आदिवासियों में बाल विवाह की प्रथा नहीं पायी जाती है। यह युवावस्था में ही विवाह करते हैं

Scanned with CamScanner